

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 26.10.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रमई पुत्र छेदीलाल नि० गांधी चबूतरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 358/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दयाशंकर पासवान पुत्र स्व० सरजू पासवान नि० चन्दापुर किटौली थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 298/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामबाबू पुत्र रामप्रसाद नि० चैनपुर मौजा धुसवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 322/21, 02. अनिरुद्ध उर्फ ककनू पुत्र स्व० बुधराम नि० परसापुर थनवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 323/21, 03. रामसूरत पुत्र रामदुलारे नि० देवरहना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 324/21, 04. राममूरत पुत्र रामदुलारे नि० देवरहना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 325/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 26.10.2021

थाना परसपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मंगल निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मंगल निषाद पुत्र जय बक्श निषाद नि0 केवटन पुरवा मौजा शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 297/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. मु0आ0 रामसेवक मय टीमा।